

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम २६)

हायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

बी.कल.पत्र..... बनामकमला.....

जा.पत्र.डी.आई..... मुकदमा नं. 19-7-54 सन् २०१८

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
<p>19⁰⁷/18 वकील जर्मी श्री हंसराज गान्धिया ने केम्प कोर्ट सींगल में दायर होकर जा.पत्र डी.आई पेश किया। जर्मीना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया जमें स्थगत पर बहस वकील जर्मी एक पक्षिय सुनी गई। पत्रावली पर उपस्थित राजस्व रेकोर्ड का अवलोकन किया गया। बहस वकील जर्मी पर सगौर मतन किया गया जिससे उमय पत्रकापन को अन्वयि डी.आई. से पाबन्द किया जाना समाप्त संगत उतीर होता है।</p> <p>अतः उमय पत्रकापन को आगामी तारीख पेशी तक जर्मी अन्वयि निषेधना पाबन्द किया जाता है कि आप वायग्रहण आतापी ख. नं. 54 लंबा 1.65 है। तत आग संतंविपुता प.द. लांपुना का बिना विधिवत विभाजन के अन्वयि/हस्तांतरण नहीं करें। राजस्व रेकोर्ड की अन्वयि बन्नाये हवें। ये आदेश रास्ते के संबंध में उमारी नहीं होंगे। उमय पत्रकापन को उक्त आदेश उल्लेखित का रिज. डी. से सम्मत जारी होकर पत्रावली दिनांक 19/08/18 को पेश हो। जर्मी 0.39 R.03 CPC पालना करें।</p>	<p>2298-2309 19-7-18</p>

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

वीरबलराम v/s कमला देवी कांड
51/2018 कांड नं. 50/2018

10/08/18

वकील जर्नी श्री संराज मावलिगा ने हाजिर होकर जा. पत्र टी.आई. विद्वा करने का बत जायता पत्र मिलत तलकी पैरा करने पर पत्रावली आज निमत तारीख पैरा है पूर्व तलक की गई। जा. पत्र में अंकित किया कि पत्रकारान के मध्य राजनिगा हो गया है तथा उल्लेख को आगे नहीं चलावाते है। वकील जर्नी का जा. पत्र स्वीकार किया जाकर जा. पत्र टी.आई. विद्वा की अनुमति उदान की जाती है। उल्लेख में आगे कोई कार्यवाही उपेक्षित नहीं है। कार्यवाही उल्लेख इसी स्तर पर drop किया जाते हैं। पत्रावली केवल शुभार होकर नम्बर से कम है तथा काद तलकील दाखिल इफ्तार है। बिगिषि खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला